रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/93

REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 16, 1993 (आश्विन 24, 1915)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1993 (ASVINA 24, 1915)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	761
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1057
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1883
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	967
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	857
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	15941
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	145
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	

*जानकारी प्राप्त नहीं

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	761
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	1057
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1883
PART II—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	967
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	857
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	15941
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies.	145
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1993

शुद्धि पत्र

सं० 11014/6/90-हिन्दी—II—कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 17 जून, 1993 के समसंख्यक संकल्प, जो भारत के दिनांक 17 जुलाई, 1993 के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 के पृष्ठ 595 और 596 में प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

क्रमांक	पैरा/पंक्ति संख्या	गलत शब्द/पाठ	शुद्ध शब्द/पाठ
1	2	3	
1.	प्रारम्भिक पैरा पंक्ति 3	अधिकृत	अधिक्रांत
2.	पैरा-1 गठन गैर सरकारी सदस्य (क) संसद सदस्य क्रमांक 16/नाम	श्री माणिक राव होदात्वा गावित	श्री माणिक राव होदाल्या गावित
3.	क्रमांक 20/नाम	श्री विट्ठल राव माधव राव यादव	श्री विट्ठल राव माधव राव जाधव
4.	क्रमांक 22/पता (चौथी पंक्ति)	सी–1120, मोती बाग	सी०–11/20 मोती बाग
5.	क्रमांक 23/स्थायी पता (पंक्ति 2,3)	गांव उदयपुर, डाकघर गोधवा	गांव उदईपुर डाकघर गोठवा
6.	क्रमांक 25/नगर का नाम (चौथी पंक्ति)	कोशिकोड़ा	कोशिकोड़
7.	II–कार्यकाल : उपपैरा (ग) (पंक्ति व 5)	सदस्य ही रहेगा	सदस्य रहेगा
8.	1–सामान्य उप पैरा (II)	में समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।	समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।
9.	यात्रा और अन्य भत्ते प्रथम पंक्ति के प्रारंभिक शब्द	गर सरकारी सदस्यों	गैर सरकारी सदस्यों

ए० के० भट्टराई,
उप सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1993

विषय :– तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कृणा–गोदावरी बेसिन में के० जी० ओ० एस० 90/1 ब्लाक क्षेत्र, माप 4367 वर्ग कि० मी० हेतु पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाना ।

सं० ओ०-12012/31/92-ओ० एन० जी०/डी०-4–पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमों, 1959 के नियम 21 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 22–04–93 के समसंख्यक पत्र के तहत तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को दिए पैट्रोल अन्वेषण लाइसेंस को रद्द करती है ।

एम० मार्टिन
अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 1993

संकल्प

सं०ए०–43011(37)/89–एम०एस०––भारत सरकार ने दिनांक 15–3–93 से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ आयात प्रतिस्थापन तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए गठित पुरस्कार बोर्ड की विधिमान्यता बढ़ाने का निर्णय लिया है :––

1 श्री एन० विश्वास — अध्यक्ष
सचिव (त० वि०) तथा म० नि०
(त० वि०),
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

2 डा० एच० आर० भोजवानी — सदस्य
सलाहकार,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान
परिषद,
अनुसंधान भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001 ।

3 डा० ए० के० दत्ता — सदस्य
निदेशक,
पर्यावरण तथा विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र,
(सी० ई० ई० एस०),
डी० आर० डी० ओ०, मेटकाफ हाऊस,
नई दिल्ली–110054 ।

4 श्री ए० के० बसाक, — सदस्य
औद्योगिक सलाहकार (इलैक्ट्रानिक्स)
विकास आयुक्त कार्यालय,
लघु उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110011 ।

5 श्री बी० के० औधे — सदस्य
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि०,
कोर सं० 6, पहला तल, स्कोप काम्पलेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 ।

6 श्री के० जी० रामनाथन — सदस्य
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
इंडियन पैट्रोकेमिकल्स लि० ,
पी० ओ० पैट्रोकेमिकल्स,
बडोदरा–390007 ।

7 श्री एन० के० शर्मा, — सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल रिसर्च डेवेलपमट,
कारपोरेशन आफ इंडिया,
22, डी० डी० ए० शापिंग काम्पलेक्स,
ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली–110048 ।

8 श्री एस० के० बिजलानी — स
अध्यक्ष,
सी० आई० आई०, प्रोद्योगिकी-समिति,
सी० आई० आई०,
लोदी रोड, इन्सटीटयूशनल एरिया,
नई दिल्ली ।

9 श्री वी० के० आर० प्रभु, — सदस्य
अतिरिक्त निदेशक,
इलैक्ट्रानिक्स विभाग,
ए० ब्लाक, सी० जी० ओ० काम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 ।

10 ब्रिगडियर के० आर० पुरानिक, — सदस्य
निदेशक, आटोमोटिव रिसर्च,
एसोसिएशन आफ इंडिया,
पी० बी० सं० 832, पुणे–411004 ।

11 डा० ए० गोपालकृष्णन्, — सदस्य
निदेशक,
सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजी० रिसर्च इन्सटीट्यूट,
दुर्गापुर–713209 ।

12 डा० आर० ए० माशेलकर — सदस्य
निदेशक,
राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला,
पुणे–411008 ।

13. डा० वाई० पी० अब्बी, सदस्य
अतिरिक्त महाप्रबन्धक,
बी० एच० ई० एल० हाऊस,
एणियाड, सिरी फोर्ट रोड,
नई दिल्ली–110049 ।

14. डा० पी० सुब्बाराव, सदस्य
महाप्रबन्धक (आर० एण्ड डी०),
आर० एण्ड डी० केन्द्र,
एच० एम० टी० लि०,
यशवंतपुर, बंगलूर–560022 ।

15. डा० ए० के० मलिक, सदस्य
महानिदेशक,
सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग मेटेरियल्स
के लिए राष्ट्रीय परिषद्
एम०-10, साउथ एक्सटेंशन भाग–II,
नई दिल्ली–110049 ।

16. श्री लक्ष्मण मिश्र, सदस्य
उप महानिदेशक,
त० वि० म० नि०, उद्योग भवन,
नई दिल्ली–110011 ।

17. श्री ति० रामसुब्रमणियन् सदस्य–सचिव
अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार,
त० वि० म० नि०, उद्योग भवन,
नई दिल्ली–110011 ।

जब भी आवश्यक हो, बोर्ड अतिरिक्त सदस्यों का चयन कर सकती है। बोर्ड के संदर्भ की शर्तें निम्न होंगी :—

(क) आयात प्रतिस्थापन का अर्थ एक आयातित का उत्पाद का स्वदेशी निर्मित उत्पाद से पूर्णत: या अंशत: प्रतिस्थापन है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होती हो।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रोन्नयन का अर्थ प्रमाणित प्रौद्योगिकी का विकास करना है जो गुणवत्ता, लागत में कमी तथा ऊर्जा संरक्षण में सहायक हो ।

(ग) सभी उद्यमी, बिना किसी बाधा के पुरस्कार के योग्य होंगे, बशर्ते वे ऊपर की आयात प्रतिस्थापन अथवा प्रौद्योगिकी उन्नयन की मापदण्डों को पूरा करते हैं ।

(घ) आयात प्रतिस्थापन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रयासों को निम्नलिखित योजना के अन्तर्गत विचार किया जाएगा : —

(1) ये प्रयास राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में योगदान करते हों ।

(2) पुरस्कार के योग्य होने के लिए व्यावसायिक बिक्री के निमित्त उत्पादन, कम से कम उस वर्ष में अवश्य होने चाहिए जिसके संदर्भ में आवेदन दिया गया है ।

(3) संगठित क्षेत्र की इकाई के लिए विदेशी मुद्रा की बचत कम से कम 15.00 लाख रुपये मूल्य की हो जबकि लघु उद्योग के लिए यह 5 लाख रुपये मूल्य से कम की न हो ।

(4) पुरस्कार के लिए ऐसी भी इकाईयां योग्य होंगी जिन्होंने समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत आयातित प्रौद्योगिकी के अवशोषण/अनुकूलन में प्रशंसनीय स्तर प्राप्त किया हो, या स्वयं प्रौद्योगिकी उन्नयन में सफलता प्राप्त की हो ।

(5) बोर्ड/समिति के गैर सरकारी सदस्य उनके लिए सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता महंगाई भत्ते के हकदार होंगे ।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मदन मोहन
निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 1993

संकल्प

सं० 26012 (1) (90–मा) (स्था०)—कुछ समय पूर्व तक के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के दिनांक 24 जुलाई, 1978 के संकल्प संख्या 26011/1/77 मा०सं० (टी०-I) तथा उससे सम्बद्ध समय-समय पर संशोधित अन्य सभी संकल्पों तथा अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड का निम्न प्रकार गठन करने का अभिनिश्चय किया गया है :—

1. कृषि मंत्री अध्यक्ष
2. राज्य मंत्री (कृषि एवं सह०) उपाध्यक्ष
(मात्स्यिकी के प्रभारी)
3. राज्य मंत्री (खाद्य संसाधन उद्योग) सदस्य
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन, नई दिल्ली ।

तटवर्ती राज्यों/संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि (10)

4. पश्चिम बंगाल
5. उड़ीसा
6. आन्ध्र प्रदेश
7. तमिलनाडु
8. पांडिचेरी
9. केरल
10. कर्नाटक
11. गोआ
12. महाराष्ट्र
13. गुजरात

अंतर्देशी राज्यों के प्रतिनिधि (9)	सदस्य
14. उत्तर प्रदेश	
15. मध्य प्रदेश	
16. पंजाब	
17. जम्मू व कश्मीर	
18. हरियाणा	
19. राजस्थान	
20. बिहार	
21. त्रिपुरा	
22. असाम	
संसद के प्रतिनिधि (2)	सदस्य
23. श्री कोडाकुनील सुरेश सांसद (लोकसभा) 34, साऊथ एवेन्यू नई दिल्ली।	
24. श्री बी० वी० अबदुल्ला कोया सांसद (राज्य सभा) डी–4, बहुमंजलीय आवास, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली ।	
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
25. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग	
26. सचिव, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	
27. महानिदेशक, भा० कृ० अनु० परिषद तथा सचिव, कृ० अनु० एवं शिक्षा विभाग	
28. सचिव, योजना आयोग	
29. सचिव, वाणिज्य विभाग	
30. सचिव, महासागर विकास विभाग	
31. विशेष सचिव/अपर सचिव (प्रभारी मात्स्यिकी) कृषि एवं सहकारिता विभाग	
32. संयुक्त सचिव (मा०) कृषि एवं सह० विभाग	
33. अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विभाग प्राधिकरण	
34. मात्स्यिकी विकासायुक्त	सदस्य सचिव
मात्स्यिकी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी	सदस्य (12)
35. श्री नागेश्वर राव कोडरू महासचिव, आन्ध्र प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी (आई) प्रथम तल, गांधी भवन, हैदराबाद–1	
36. श्री नंद किशोर शर्मा, छोटा तालाब, वार्ड नम्बर 19 सीकर (राजस्थान)	
37. श्री ए० पी० जयशीलन, प्रियदर्शिनी, मानाकोठ नगर आवासीय कालोनी पी० ओ० पाक्किकुन्नड (केरल)	
38. श्री पी० जोजो बर्नार्ड एडवोकेट, पूवाडेली हाऊस, वदुथला, कोचिन–682023	
39. अध्यक्ष,फिशकोपफेड (पदेन) नई दिल्ली	
40. श्री दुशासन दलेई, बाजी राऊत चौक, धेनकनाल (उड़ीसा)	
41. श्री विन्सेंट कक्कास कक्कास भवन, तेवल्ली कोल्लम–9 (केरल)	
42. श्री अशोक नारायण बाहुलकर ए–6/24, सुन्दर नगर, कलीना, मुम्बई–98	
43. श्री टी० लोगानाथन 4, अप्पाबू, पिल्लै स्ट्रीट, रोयापुरम, मद्रास (तमिलनाडु)	
44. श्री जयन्त दास वरिष्ठ एडवोकेट दास एण्ड एसोसिएट्स, उड़ीसा हाईकोर्ट के सामने, कटक (उड़ीसा)	
45. श्री चाँद मुहम्मद चौध, पूर्व–अध्यक्ष, असम विधान सभा, गांधी बस्ती, गुवाहाटी (असम)	
46. श्री राज विक्टोरिया, 174, बी०आर० स्ट्रीट, तिरुचेन्दूर, तमिलनाडु।	

2. क्रम संख्या 23 और 24 पर दिये गये सदस्यों की नियुक्ति की अवधि 13-4-1995 अथवा जब तक वे संसद के सदस्य हैं अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगी। इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी नियुक्ति की अवधि क्रम संख्या 35 से 38 तक के सदस्यों के लिए 12-8-1995 तथा क्रम संख्या 40 से 46 के सदस्यों के मामले में तीन वर्ष या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, लागू रहेगी ।

3. कार्य

(1) मात्स्यिकी विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर विचार-विमर्श,

(2) केन्द्र, राज्यों तथा अन्य विभिन्न संगठनों के मध्य मात्स्यिकी गतिविधियों पर प्रभावी बेहतर समन्वय को अपनाने/करने के उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना, और

(3) मात्स्यिकी विकास के पूर्णतया प्रभावी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय नीति आदि के मामले में केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं उनके विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए अर्थोपाय पर सुझाव देना ।

4. कार्य के नियम

बोर्ड के कार्य इस प्रकार होंगे :

(1) बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा ।

(2) बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी, जो प्राथमिक कार्य का संचालन, बोर्ड की सिफारिशों पर हुई प्रगति पर नजर रखते हुए उसके परिणामों से बोर्ड को सूचित करेगी ।

(3) सचिव बोर्ड की बैठक का दिन, समय और स्थान तय करेंगे । बोर्ड की प्रत्येक बैठक से कम से कम छः सप्ताह पूर्व "कार्यसूची नोट" परिचालित किये जायेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी सदस्यों को परिचालित कर दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अतुल सिन्हा,
संयुक्त सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1993

संकल्प

सं० 48-28/87-भेड़—भेड़, बकरी तथा खरगोशों के विकास के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी इस मंत्रालय के दिनांक 25 सितम्बर, 1992 के संकल्प सं० 48-28/87-भेड़ के अनुक्रम में सरकार ने (1) श्री के० डी० सुलतानपुरी, सदस्य (लोक सभा) (2) श्री राम नरेश सिंह, सदस्य (लोक सभा) तथा श्री गुण्डप्पा कोरवर, सदस्य (राज्य सभा) को इस समिति के सदस्यों के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० कण्डीर,
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1993

विषय : भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भा० भा० सं०) की सलाहकार समिति का गठन ।

सं० एफ० 8-6/88-डेस्क-4 (भाषा)—भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को उसके कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने में उसको सलाह एवं सहायता देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12 अक्तूबर, 1988 के संकल्प सं० 8-6/88-डेस्क-4 (भा०) का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार इस समिति के गठन तथा कार्यकाल में एतद्द्वारा निम्न प्रकार संशोधन करती है :—

1.	उप मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	डा० नामवर सिंह, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	सदस्य
3.	डा० कमलेश दत्त त्रिपाठी, वाराणसी	सदस्य
4.	डा० अय्यप्पा पाणिक्कर, त्रिवेन्द्रम	सदस्य
5.	डा० अत्तर सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।	सदस्य
6.	श्री फजल तबिश, भोपाल	सदस्य

7. श्री जे० पी० दास, कवि (उड़िया)	सदस्य
8. श्री गुलशेर खान शानी, उपन्यासकार, दिल्ली	सदस्य
9. प्रोफेसर पी० सरकार बंगला विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	सदस्य
10. प्रो० कमेर राजा, अध्यक्ष उर्दू विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
11. प्रोफेसर जे० एम० मोहन्ती, अंग्रेजी विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, वेणीविहार, भुवनेश्वर	सदस्य
12. सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग	पदेन—सदस्य
13. संयुक्त सचिव (भाषा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग	पदेन—सदस्य
14. संयुक्त सचिव, (जनजातीय कल्याण), कल्याण मंत्रालय	पदेन—सदस्य
15. वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग	पदेन—सदस्य
16. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	पदेन—सदस्य
17. निदेशक, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, शिक्षा विभाग, दिल्ली	सदस्य
18. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	संयोजक

1. इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगा।

2. समिति सरकारी के सदस्य तब तक इसके सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद पर रहेंगे जिसकी वजह से वे समिति के सदस्य हैं।

3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण समिति में कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति पर नियुक्त किया गया नया सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

विचारणीय मुद्दे

1. भारतीय भाषा संस्थान को उसकी योजनाओं, कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को तैयार करने में सलाह देना।

2. भाषाओं के शिक्षण, भाषाई अनुसंधान, शिक्षण सामग्री को तैयार करने पत्राचार पाठ्यक्रमों इत्यादि से संबंधित मामलों में भारतीय भाषा संस्थान को सलाह देना।

3. भारतीय भाषा संस्थान द्वारा तैयार किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करना।

4. भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष शुरू किए जाने वाले विभिन कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना।

5. भारत और विदेशों में प्रशिक्षण और वृत्तिका विकास सहित संकाय सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करना।

6. जनजातीय और सीमावर्ती भाषाओं की प्रोन्नति एवं विकास से संबंधित मामलों भारतीय भाषा संस्थान को सलाह देना।

7. भारतीय भाषा संस्थान द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा करना।

बैठक :

समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी। तथापि, अध्यक्ष जब भी आवश्यक समझेंगे, बैठकें बुला सकेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मनसा गंगोत्री, मैसूर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी मुद्रित प्रति मंत्रालय को भेजी जाए।

आर० सी० मीणा,
अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1993

संकल्प

सं० 6 (1)/93-एन० डी०-1/तक०—खाद्य और पोषाहार बोर्ड का गठन किये जाने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग के दिनांक 26 जुलाई 1990 के संकल्प सं० 6 (1)/89-एन० डी०-III/तक० के अधिक्रमण में भारत सरकार ने खाद्य और पोषाहार बोर्ड के कार्यों को पुनः परिभाषित करने और इसका निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

बोर्ड के कार्य

बोर्ड निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में सरकार को सलाह देगा, समन्वय और पुनरीक्षण करेगा :

(i) खाद्य और पोषाहार—विस्तार/शिक्षा

(ii) पौष्टिक खाद्य और पेयों का विकास उत्पादन और प्रचार

(iii) पौष्टिक तत्वों की कमी से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम के लिये आवश्यक उपाय

(iv) खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण द्वारा खाद्य संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग एवं संवर्धन

(v) बाल और किशोर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषाहार की आवृत्ति और गुणवत्ता का प्रबोधन करना, और

(vi) पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आकस्मिक अथवा सहायक समझे जाने वाले अन्य मामले ।

1. सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2. संयुक्त सचिव (पोषाहार के प्रभारी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
3. वित्तीय सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
4. निदेशक केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसन्धान संस्थान मैसूर	सदस्य (पदेन)
5. निदेशक राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद	सदस्य (पदेन)
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य (पदेन)
7. सलाहकार (समाज कल्याण एवं पोषाहार) योजना आयोग नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
8. तकनीकी सलाहकार खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य सचिव (पदेन)
9. श्री बी० राजगोपाल वरिष्ठ सलाहकार (दक्षिण) राष्ट्रीय संवृद्धि एवं विकास केन्द्र बारानीलकण्ठा मेहता स्ट्रीट टी० नगर मद्रास—600 017	सदस्य
10. श्रीमती स्नेहलता भास्कर राव पाटिल खटगांवकर सचिव प्रगति महिला मण्डल नान्देड और निदेशक महाराष्ट्र राज्य सलाहकार बोर्ड बम्बई "सा कृपा विश्वनगर वी० आई० पी० रोड, नांदेड (महाराष्ट्र)	सदस्य
11. श्रीमती रत्नेश सिंह महिला कार्यकर्ता पी०—30 राजा बसन्त राय रोड कलकत्ता (प० बंगाल)	सदस्य
12. श्री अब्दुल सत्तार समाज कार्यकर्ता अध्यक्ष उर्दू शिक्षा समिति जेवारगी गुलबर्गा जिला (कर्नाटक)	सदस्य
13. श्रीमती उर्मिला सिंह भूतपूर्व अध्यक्षा मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड भूतपूर्व सदस्य केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	सदस्य
14. डा० अब्दुल शकूर बारसी अनुसन्धान निदेशक चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर (उ० प्र०)	सदस्य
15. डा० पन्जाब सिंह निदेशक भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसन्धान संस्थान झांसी (उ० प्र०)	सदस्य

अध्यक्ष किसी विशेष बैठक के लिये किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहायोजित कर सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि बैठक के निर्णयों का अध्यक्ष द्वारा औपचारिक अनुमोदन करा लिया जाए। बोर्ड ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जो समय-समय पर वह आवश्यक समझे।

कार्यकाल

बोर्ड का कार्यकाल राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीनाक्षी आनन्द चौधरी
संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 1993

संकल्प

सं० 15/15/93-प्रशा०-4—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी माध्यम एककों तथा संगठनों की सेवाओं तथा संवर्गों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने हेतु, सरकार द्वारा दिनांक 16-4-93 के संकल्प संख्या 15/15/93-प्रशा-4 के तहत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है यह निर्णय लिया गया है कि श्री के० ए० वरदन, जिन्होंने दिनांक 21-5-93 (अपराह्न) से अपर सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है, के स्थान पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री आर० जासु उक्त समिति के सरकारी सदस्य होंगे।

2. 16 अप्रैल, 1993 का संकल्प उपर्युक्त सीमा तक संशोधित हो जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों प्रधान मंत्री के कार्यालय तथा सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

एस० लक्ष्मीनारायणन
संयुक्त सचिव

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1993

नियम

सं. 6/21/93-के. से. (1)—निम्नलिखित सेवाओं पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1994 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक ग्रेड में भर्ती, 1993 के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

1. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-4 (सहायक)।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड, और

5. भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और संबद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या बाद में निर्धारित की जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एवं सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या वह

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से श्रीलंका से आया हो।

(1) परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर के श्रेणी (ख), (ग), तथा (घ) में संबंधित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड 4 में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिनके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो; परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा ।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1993 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1968 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1973 के बाद न हुआ हो ।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष का लगातार तथा नियमित सेवा पहली जनवरी 1993 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों अपर डिविजन क्लर्कों स्टेनोग्राफरों, ग्रेड "घ"/ग्रेड-3 के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी ।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड "घ"/ग्रेड-3 नहीं, इस उप नियम के अंतर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे, भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान ले ही क्यों न रहे हों ।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

1. यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो; तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

2. किसी दूसरे देश के साथ सघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष । (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आठ वर्ष) ।

3. जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1993 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य मुक्त हुए हैं इसमें ये भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल आवेदन-पत्र के प्रस्तुतिकरण की अन्तिम तिथि [आयोग की इस भर्ती के लिए दी गई विज्ञप्ति में दर्शित] के एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या (II) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता या (III) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामलों में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक से अधिक दस वर्ष तक) ।

4. आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प-कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के नाम में अधिकतम 5 वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम दस वर्ष) जिन्होंने 1 जनवरी 1992 को सैनिक सेवा के 5 वर्षों की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में रखे जाने हैं तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार प्राप्त करने पर तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा ।

टिप्पणी :—भूतपूर्व सैनिक जो भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करके पहले से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं वे नियमावली के नियम 5(ग) (4) के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।

5. ऐसे अभ्यर्थी जो कुवैत या ईराक से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तथा भारत में 15 मई, 1990 के बाद तथा 22 नवम्बर, 1991 से पूर्व प्रवजन किया हो तो अधिकतम 45 वर्ष तक ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है ।

टिप्पणी :—जिस उम्मीदवार को नियम 5(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश न दिया हो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी यदि आवेदन-पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन-पत्र भेजते समय यदि उसकी सेवा या पद छूटती हो जाती है तो वह पात्र नहीं बना रहेगा ।

जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर, ग्रेड "घ"/ग्रेड- III सक्षम प्राधिकार का अनुभोधन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति हैं या जिनका किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो जाता है किन्तु जिस पद पर से स्थानांतरित हुआ है उस पर उसका लियन बना रहता है वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

6. उमीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान सभा मंडल द्वारा निर्मित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1965 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष योग्यता हो ।

टिप्पणी :—ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हों, रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी 2 :—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

7. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों, चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हुए हों पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों या वे जो लोक उद्यमों के अधीन

कार्यरत हैं उन सब को इस आशय का परिचालन (अंडरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप से यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

8. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

9. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) नहीं होगा ।

10. उम्मीदवार को 35 रुपये मात्र निर्धारित फीस देनी होगी । अनु. जाति, अनु. जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं है ।

11. उम्मीदवार द्वारा किसी भी ढंग से अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है ।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

1. किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

3. किसी अन्य व्यक्ति के छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

4. जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपाय का सहारा लिया है, अथवा

7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में अभद्र आशय की हों, या

9. परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो,

10. परीक्षा भवन से प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पुस्तिका उठा कर ले जाना,

11. परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

12. उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति इस शर्त पर प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो,

13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने के लिए अवप्रेरित किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उनके साथ ही

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से एक विशेष अवधि के लिए :—

1. आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी नौकरी से वारित किया जा सकता है; और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

1. उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित, अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

2. उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकालने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवार को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों ।

परन्तु शर्त यह है कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को, जितनी रिक्तियां उनके लिए आरक्षित की गई हैं, उतनी ही संख्या में, मानक स्तर में छूट देते हुए प्रस्तुत करें बशर्ते कि ये उम्मीदवार जिस सेवा के लिए उनका चयन किया जा रहा है उसके लिए योग्य पाए जाएं ।

आगे शर्त यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थियों जो आयोग द्वारा बिना शिथिल मानदंडों के अनुशंसित किए जाते हैं जैसा कि इस पैरा में दिया गया है, को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जायेगा ।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा

और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्यधीन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त करते समय उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताये गये वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी या आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग पास करनी होगी । यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सके तो वह सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनके वेतनमान को फिर से इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गयी थी परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी ही गयी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा ।

18. जिन व्यक्तियों ने—

(क) ऐसे व्यक्तियों से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबंध किया है तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्ति कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने की संभावना है ।

20. परीक्षा के पास हो जाने से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

21. भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों को सेवा की शर्तें परिशिष्ट-II में दी गई हैं ।

सी. भास्कर
अवर सचिव

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना)

परीक्षा के विषय, अनुमित समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्न प्रकार से होंगे :—

प्रश्न-पत्र	परीक्षा का नाम	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि
प्रश्न पत्र-I	(क) तार्किक योग्यता	वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रकार	100	200	2 घंटे
	(ख) सामान्य ज्ञान	"	100		
प्रश्न पत्र-II	(क) अंक गणित	"	100	200	2 घंटे
	(ख) अंग्रेजी भाषा-I सामान्य अंग्रेजी		100		
	या				
	भाषा-II सामान्य अंग्रेजी और हिन्दी	"	प्रत्येक में 50		

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है ।

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुपरक के प्रश्नों के होंगे । अंकगणित तार्किक योग्यता तथा सामान्य ज्ञान से प्रश्न-पत्र (प्रश्न पुस्तिका) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में छपे होंगे ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग अंक) निर्धारित कर सकता है ।

6. प्रश्न-पत्र, जहां आवश्यक हों, रोलों और भागों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

7. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए केलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लायें ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

प्रश्न-पत्र-I

(क) तार्किक योग्यता : तार्किक योग्यता परीक्षण में शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे । 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न गैर-शाब्दिक प्रकार के होंगे जो वर्गीकरण, साध्य और श्रृंखला पर आधारित होंगे । शेष 60 प्रश्न शाब्दिक प्रकार के होंगे जो वर्ण/अंक श्रृंखला, वर्ण/अंक/शब्द साध्य, अंक/वर्ण/शब्द वर्गीकरण, कूटीकरण, कूटानुवाद, समस्या समाधान नियम योजना, स्थानिक स्थिति निर्धारण, विशेष मान-दर्शन, तथा कथक निष्कर्ष/निगमनिक तर्क पर आधारित होंगे ।

(ख) सामान्य ज्ञान : इस परीक्षण के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के समसामयिक ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य विज्ञान/सामाजिक विज्ञान तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के ज्ञान का मापन करना है । इस परीक्षण में खेल-कूद, संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा सामान्य राज्य-व्यवस्था इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल किये जाएंगे । ये प्रश्न ऐसे होंगे जिसके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती ।

प्रश्न-पत्र-II

(क) अंक गणित : इस परीक्षण में प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत आकलन, सारणी और लेखाचित्रों का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी औसत एवं समय इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे ।

(ख) भाषा-I (सामान्य अंग्रेजी) : इस परीक्षण में त्रुटि पहचानने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने क्रिया, पूर्वसर्ग, उपपद, (क्रिया विश्लेषण इत्यादि का प्रयोग करके) शब्दकोष, वर्तनी, अनुच्छेदों में वाक्यों का अनुक्रम, वाक्यों में शब्दों का अनुक्रम क्लोज पैसेज, तथा धारणशील अनुच्छेद इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे । दिए गए अनुच्छेद के प्रसंग में समानार्थक एवं विलोमार्थक भी पूछे जाएंगे । प्रश्नों का मानदण्ड केवल 10+2 स्तर का होगा ।

या

भाषा–II (सामान्य अंग्रेजी और हिन्दी) : इस परीक्षण में 50 प्रतिशत प्रश्न सामान्य अंग्रेजी के होंगे जो भाषा–I की तरह ही होंगे तथा 50 प्रतिशत प्रश्न हिन्दी के होंगे । हिन्दी के प्रश्न अभ्यर्थी के भाषा की समझ, सभी शब्दों के उचित प्रयोग, लोकोक्तियों और मुहावरों तथा भाषा को सही, सुस्पष्ट तथा प्रभावशाली रूप से लिखने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे ।

परिशिष्ट–II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है :—

1. भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक काउंसलर मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड–4 सम्मिलित है । ग्रेड–4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित है :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड–I	मुख्यालयों में अवर सचिव या विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 3000–100–3500–125–4500
समेकित	मुख्यालयों में सहकारी	
ग्रेड–II	(अताशों और अनुभाग अधिकारी)	रु० 2000–60–2300–द० रो०–75–2900–100–3500
ग्रेड–III	विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उप काउंसिल और रजिस्ट्रार	
ग्रेड–IV	मुख्यालयों में तथा विदेश सेवा स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक	रु० 1640–60–2600–द० रो०–75–2900

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग की ग्रेड-4 में सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों को दो वर्ष परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हों। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितनी उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहें, भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. विदेशों में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त संबद्ध देशों में निर्वाह व्यय आदि अनुसार समय-समय पर स्वीकृत की जाने वाली दरों पर विशेष भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (पी.एस.सी.ए.) नियमावली, 1961 के अनुसार जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों पर लागू हो गई हैं, विदेशों में सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी ग्राह्य हैं :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित मान के अनुसार सुसज्जित निःशुल्क आवास,

(2) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं,

(3) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए गृह अवकाश-यात्रा।

(4) सरकार द्वारा यथा परिभाषित आपातकाल जैसे भारत में किसी निकट संबंधी की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी के समय भारत जाने और विदेश में कार्यस्थल पर वापस लौटने के लिए जाने-आने का एकल हवाई यात्रा व्यय जो पूरी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार मिलेगा।

(5) भारत में क्षेत्रीय शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत 6 से 22 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुछ शर्तों पर छुट्टियों के दौरान अपने माता पिता के पास आने-जाने के लिए वापिस हवाई यात्रा व्यय।

(6) उक्त अधिकारी को विदेश में तैनाती स्थल पर अध्ययनरत 5 से 20 वर्ष आयु तक के बच्चों की शिक्षा का व्यय जो अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा, कुछ शर्तों के अधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(7) विदेशों में प्रति तैनाती पर रु. 2300/- परिलब्धि भत्ता जो सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक 8 अवसरों तक मिलेगा।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा "ख") (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति), नियमावली 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाये और उक्त सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा "ख") (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति), नियमावली, 1969 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी:—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-1 के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (ख) के रु. 3200-100-3700-125-4700 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु. 3700-125-4700-150-5000

(2) ग्रेड-1 (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु. 3000-100-3500-125-4500

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड : रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500

(4) सहायक ग्रेड : रु. 1640-60-2600-द. रो.-75-2900।

सहायक के रूप में सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परिक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें और परिक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल विभाग तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इन नियमों के अंतर्गत भर्ती हुए अधिकारी—

(1) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(2) गैर अंशदायी रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जो कि रेल

कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी. टी. ओ. के हकदार होंगे ।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उनपर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं—

(1) चयन (सलेक्शन ग्रेड) उप सचिव या समकक्ष अधिकारी—

रु. 3700-125-4700-150-5000 ।

(2) ग्रेड-1 (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—

रु. 3000-100-3500-125-4500 ।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—

रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500 ।

(4) सहायक ग्रेड—

रु. 1640-60-2600-द. रो.-75-2900 ।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है ।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

5. सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

6. जिन व्यक्तियों को उनके अपने विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो तो वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा : सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में पांच ग्रेड हैं जो इस प्रकार हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
ाक	रु० 4500-150-5700 ।
ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी)	रु० 3700-125-4700-150-5000 ।
ासावलियन स्टाफ अधिकारी	रु० 3000-100-3500-125-4500 ।
सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी	रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500।
सहायक	रु० 1640-60-2600-द० रो०-75-2900।

2. जिन व्यक्तियों की सहायक के रूप में सीधी भर्ती की जाएगी उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा तथा ऐसे विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए । परीक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर अथवा उक्त परीक्षणों में उत्तीर्ण न होने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा से कार्यमुक्त किया जा सकता है ।

3. परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा है तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि ऐसी आगे की अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है जो भी सरकार उचित समझे ।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों की तैनाती सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में सहभागी अंत: सेवा संगठन के किसी एक सेवा मुख्यालय में की जाएगी । किन्तु उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मुख्यालयों या कार्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

5. सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

6. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का ऐसी नियुक्ति के बाद उन पदों, जो उक्त सेवा में सम्मिलित नहीं हैं, पर स्थानांतरित या नियुक्ति का कोई हक नहीं होगा ।

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 14th September 1993

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil & Natural Gas Commission for KG.OS.-90 1 Block area measuring 4367 Sq. kms., in Krishna Godavari Basin.

No. O-12012/31/92-ONG/D.IV.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 21 of the Petroleum and Natural Gas Rules 1959, the Central Government hereby cancels the Petroleum Exploration Licence granted to ONGC vide the Ministry of Petroleum & Natural Gas Order of even number dated 22-4-93.

M. MARTIN,
Desk Officer

MINISTRY OF INDUSTRY

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 2nd September 1993

RESOLUTION

No. A-43011(37)/89-MC/350.—Government of India have decided to extend the validity of the Board of Awards for Import Substitution and Technology Development with the following composition for a period of two years w.e.f. 15-3-93 :—

Chairman

1. Sh. N. Biswas,
Secretary (TD) & DG(TD),
Udyog Bhavan,
New Delhi.

Members

2. Dr. H. R. Bhojwani,
Adviser,
Council of Scientific & Indl. Research,
Anusandhan Bhavan,
Rafi Marg, New Delhi-110001.

3. Dr. A. K. Datta,
Director,
Centre for Environment & Explosive,
Safety (CEES),
D.R.D.O.,
Metcalf House,
New Delhi-110 054.

4. Sh. A. K. Basak,
I.A. (Electronics),
Office of the Development Commissioner,
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan,
New Delhi-110 011.

5. Sh. V. K. Aondhe,
Chairman & Managing Director,
Hindustan Organic Chemicals Ltd.,
Core No. 6, 1st Floor, Scope Complex,
Lodhi Road,
New Delhi-110 003.

6. Sh. K. G. Ramanathan,
Chairman & Managing Director,
Indian Petro Chemicals Ltd.,
P.O. Petrochemicals, Vododara-390 007.

7. Sh. N. K. Sharma,
Managing Director,
National Research Development
Corporation of India,
22, DDA Shopping Complex,
Zamrudpur, East of Kailash,
New Delhi-110 048.

8. Sh. S. K. Bijlani,
Chairman,
CII Technology Committee,
Confederation of Indian Industry,
Lodhi Road, Institutional Area,
New Delhi.

Members

9. Sh. V. K. R. Prabhu,
Additional Director,
Deptt. of Electronics,
A Block, CGO Complex,
Lodhi Road,
New Delhi-110 003.

10. Brig. K. R. Puranik,
Director,
Automotive Research Association of India,
P.B. No. 832,
Pune-411 004.

11. Dr. A. Gopalakrishnan,
Director,
Central Mechanical Engg. Institute,
Durgapur-713 209.

12. Dr. R. A. Mashelkar,
Director,
National Chemical Laboratory,
Pune-411 008.

13. Dr. Y. P. Abbi,
Addl. General Manager,
BHEL House,
Asiad Village, Siri Fort Road,
New Delhi-110 049.

14. Dr. P. Subba Rao,
General Manager (R&D),
R&D Centre,
HMT Ltd.,
Yashwantpur, Bangalore-560 022.

15. Dr. A. K. Mullick,
Director General,
National Council for Cement & Building Materials,
M-10, South Extension Part II,
New Delhi-110 049.

16. Sh. L. Mishra,
Deputy Director General,
DGTD, Udyog Bhavan,
New Delhi-110 011.

Member-Secretary

17. Sh. T. Ramasubramanian,
Addl. Industrial Adviser,
DGTD, Udyog Bhavan,
New Delhi-110 011.

Board can co-opt additional members where necessary.

The terms of reference of the Board will be as follows :

(a) Import substitution means substitution by total or partial replacement of an imported product, by an indigenously manufactured product, resulting in saving in foreign exchange.

(b) The Technology Development technology upgradation would cover development of proven technologies leading to significant improvement in quality, cost reduction, energy savings.

(c) All enterprises, without any restriction, will be eligible for awards, provided they meet the above import substitution and technology upgradation criteria.

(d) Import substitution and technology upgradation effort which could be considered under the scheme are :

(i) The effort should subscribe to the National economy of the country.

(ii) Production resulting in commercial sales should have been there at least during the financial year to which the application pertains before qualifying for an award.

(iii) Whereas recurring foreign exchange saving in the case of an organised sector unit should not be less than a value equivalent to Rs. 15.00 lakhs cif per annum that in the case of small scale sector should not be less

than a value equivalent to Rs. 5 lakhs per annum.

(iv) The Award may also be applicable to units who have achieved commendable level of performance in absorption/adaptation of imported technology within a time bound programme or have obtained success in technology upgradation on their own.

(v) Non-official members of the board/committees would be entitled to TA/DA as per Govt. rules for non-officials.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN,
Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 3rd September 1993

RESOLUTION

No. 26012(1)/90-Fy(E).—In supersession of the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) Resolution No. 26011/1/77-Fy(T-1) dated the 24th July, 1978 as amended from time to time and all other Resolutions and Notifications thereto, it has been decided to reconstitute the Central Board of Fisheries as under :

Chairman

1. Minister of Agriculture.

Vice-Chairman

2. Minister of State (Agri. & Coopn.) (In-charge of Fisheries)

Members

3. Minister of State (FPI), Ministry of Food Processing Industries, Panchsheel Bhawan, New Delhi.

Minister Incharge of Fisheries of

Representing Marine States/Union Territories)

4. West Bengal
5. Orissa
6. Andhra Pradesh
7. Tamil Nadu
8. Pondicherry
9. Kerala
10. Karnataka
11. Goa
12. Maharashtra
13. Gujarat

Minister Incharge of Fisheries of

Representing Inland States

14. U.P.
15. Madhya Pradesh
16. Punjab
17. Jammu & Kashmir
18. Haryana
19. Rajasthan
20. Bihar
21. Tripura
22. Assam

Members

Representing Parliament to

23. Shri Kodikkunnil Suresh, Member of Parliament (Lok Sabha), 34, South Avenue, New Delhi.

24. Shri B. V. Abdulla Koya, Member of Parliament (Rajya Sabha), D-4, MS Flats, BKS Marg, New Delhi.

Official Members Representing Central Government

25. Secretary, Department of Agriculture & Coopn.

26. Secretary, Ministry of Food Processing Industries.

27. Director General, I.C.A.R. & Secretary, DARE.

28. Secretary, Planning Commission.

29. Secretary, Department of Commerce.

30. Secretary, Department of Ocean Development

31. Special Secretary/Additional Secretary (Incharge of Fisheries), Department of Agriculture & Cooperation.

32. Joint Secretary (Fisheries), Department of Agriculture & Cooperation

33. Chairman, Marine Products Export Development Authority.

Member-Secretary

34. Fisheries Development Commissioner.

Non-official Members Representing Fishing Industry

Members

35. Shri Nageswara Rao Koduru, General Secretary, Andhra Pradesh Youth Congress Committee (I), First Floor, Gandhi Bhawan, Hyderabad-500 001.

36. Shri Nand Kishore Sharma, Chhota Talab, Ward No. 19, Sikar (Rajasthan).

37. Shri A. P. Jayaseelan, Priyadarshi, Monikkoth Nagar Housing Colony, P.O. Pakikkunnu, Kerala.

38. Shri P. Jojo Barnard, Advocate, Poovanderil House, Vaduthala, Cochin-682-023.

39. President, FISHCOPFED (Ex-officio), New Delhi.

40. Shri Dhusasan Dalei, Baji Rout Chowk, Dhenkanal, Orissa.

41. Shri Vincent Kakkas, Kakkas Bhawan, Thevally P.O., Kollam-9, Kerala.

42. Shri Ashok Narayan Bahulkar, A-6, 24, Sunder Nagar, Kalina, Bombay-98.

Members

43. Shri T. Loganathan,
R/o 4, Appavoo,
Pillai Street,
Royapuram, Madras (T.N.).

44. Shri Jayant Das,
Sr. Advocate,
Das & Associates,
Opp. Orissa High Court,
Cuttack (Orissa).

45. Shri Chand Mohd. Chand,
Ex-Speaker, Assam Assembly,
Gandhi Basti, Guwahati (Assam).

46. Shri Raj Victoria,
174, V.R. Street,
Tiruchendur, Tamil Nadu.

2. The tenure of appointment of the members at Sl. Nos. 23 & 24 is upto 13-4-1995 or until they cease to be members of Parliament or until further orders, whichever is earlier. The tenure of members at Sl. Nos. 35 to 38 is upto 12-8-1995 and those at Sl. Nos. 40 to 46 is for three years with effect from the date of issue of this Resolution, or until further orders, whichever is earlier.

3. *FUNCTIONS*

(i) To discuss national level problems connected with various aspects of Fisheries Development.

(ii) To recommend suitable measures for adoption to effect better coordination on fishery activities between the Centre, States and other various organisations; and

(iii) To suggest ways and means for implementing various programmes of development on fisheries having overall effect among others on the programme on development, plans of centre and States in respet of national policy, etc.

4. *RULES OF BUSINESS*

The functions of the Board will be as follows:

(i) The Board shall meet once in a year.

(ii) The Board shall have a standing committee to conduct preliminary work, to watch the progress made on the recommendations of the Board and to report the results to the Board.

(iii) Secretary will fix date, time and venue of the Board. The agenda will be circulated at least six weeks in advance of each meeting of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all State Governments, all Ministries and Departments of Government of India and to all members.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ATUL SINHA,
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

New Delhi, the 25th August 1993

RESOLUTION

No. 48-28/87-Sheep.—In continuation of this Ministry's resolution No. 48-28/87-Sheep dated 25th September, 1992 reconstituting the Central Advisory Committee for development of Sheep, Goat and rabbits, Government of India have decided to nominate S/Shri (1) K.D. Sultanpuri, Member (LS), (2) Ram Naresh Singh, Member (L.S.), and (3) Gundappa Korwar, Member (R.S.) as Members of this Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secttt. and Rajya Sabha Secttt.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. KANDIR,
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th August 1993

RESOLUTION

Subject:—Advisory Committee in the Central Institute of Indian Language, Mysore (CIIL)—Setting up of—

No. F.8-6/88-D.IV(L).—In partial modification of the Resolution No. F. 8-6/88-D.IV(L) dated the 12th Oct., 1988 published in the Gazette of India regarding the setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages, Mysore in formulating it's programmes and projects, the Government of India hereby revise the composition and tenure of the Committee as under:—

COMPOSITION

Chairman

1. Deputy Minister (Education & Culture),
Ministry of Human Resource Development.

Members

2. Dr. Namwar Singh, JNU.

3. Dr. Kamlesh Dutt Tripathi, Varanasi

4. Dr. Ayyappa Panikker, Trivandrum.

5. Dr. Attar Singh, Punjab University,
Chandigarh.

6. Sh. Fazal Tabish, Bhopal.

7. Sh. J. P. Das, Poet (Oriya).

8. Sh. Gulsher Khan Shaani, Novelist,
Delhi.

9. Prof. P. Sarar, Department of Bengali,
Jadavpur University, Calcutta.

10. Prof. Qamer Raja,
Head of the Department of Urdu,
Dedhi University, Delhi.

11. Prof. J. M. Mohanty,
Department of English,
Utkal University,
Venivihar, Bhubaneswar.

Ex-Officio Member

12. Adviser (Education),
Planning Commission.

13. Joint Secretary (L),
Ministry of Human Resource Development,
Department of Education.

14. Joint Secretary (Tribal Welfare),
Ministry of Welfare.

15. Financial Adviser,
Ministry of HRD,
Department of Education.

Ex-Officio Member

16. Director,
Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

Members

17. Director,
Bureau for Promotion of Urdu,
Department of Education, Delhi.

Convener

18. Director,
CIIL, Mysore.

TENURE

1. The tenure of the non-official members of the Committee shall be 3 years from the date of appointment.
2. The official members of the Committee shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee.
3. If a vacancy arises on the Committee due to resignation death etc. of a member, the new member appointed in that vacancy will hold office for the residue of the tenure of 3 years.

TERMS OF REFERENCE

I. To advise the CIIL in the formulation of its plans, programmes and projects;

II. To advise the CIIL in matters relating to teaching of languages, linguistic research, production of teaching material, correspondence courses etc.

III. To review annually the academic programmes made by the CIIL.

IV. To lay down the priorities for various programmes to be undertaken by the CIIL annually;

V. To recommend measures for faculty improvement including training in India and abroad and career advancement.

VI. To advise CIIL in matters relating to promotion and development of tribal and border languages; and

VII. To review the commissioned projects undertaken by the CIIL.

MEETING

The Committee shall meet not less than once a year. Meetings may, however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore, All State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister Office, New Delhi.

Ministry of Parliamentary Affairs, Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and All Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Printed copy may be sent to the Ministry.

R. C. MEENA,
Under Secy.

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th September 1993

RESOLUTION

No. 6(1)/93-ND-I/Tech|—In supersession of the Ministry of Food and Civil Supplies, Department of Food Resolution No. 6(1)/89-ND-III/Tech. dated 26th July, 1990 constituting the Food and Nutrition Board, the Government of India has decided to redefine the functions of the Food and Nutrition Board and reconstitute it as follows :—

FUNCTIONS OF THE BOARD

The Board will advise Government, coordinate and review the activities in regard to :

(i) Food and Nutrition Extension/Education;

(ii) Development, production and popularisation of nutritious Food and Beverages;

(iii) Measures required to combat deficiency diseases;

(iv) Conservation and efficient utilisation as well as augmentation of food resources by way of food preservation and processing;

(v) Monitoring the frequency and quality of Supplementary Nutrition being provided under child and adolescent development programmes; and

(vi) Such other matters as may be considered necessary, incidental or conducive to attainment of the aforementioned objectives.

Chairman

(*Ex-officio*)

1. Secretary to the Government of India,
Ministry of Human Resource Development,
Department of Women & Child Development.

Members

2. Joint Secretary (In-charge of Nutrition)
Ministry of Human Resource Development,
Department of Women & Child Development.

3. Financial Adviser,
Ministry of Human Resource Development,
Department of Women & Child Development.

4. Director,
Central Food Technological Research Institute,
Mysore.

(*Ex-officio*)

5. Director,
National Institute of Nutrition,
Hyderabad.

6. Representative of the
Ministry of Health & Family Welfare.

7. Adviser (Social Welfare & Nutrition),
Planning Commission,
New Delhi.

Member-Secretary

(*Ex-officio*)

8. Technical Adviser,
Food & Nutrition Board,
Ministry of Human Resource Development,
Department of Women & Child Development.

Members

9. Shri B. Rajagopal,
Sr. Adviser (South),
National Growth and Development Centre,
12, Neelakanda Mehta Street,
T. Nagar,
Madras-600 017.

10. Mrs. Snehlata Bhaskarrao Patil Khatgaonkar,
Secretary, Pragati Mahila Mandal,
Nanded and Director, Maharashtra State Advisory Board, Bombay.
'Saikripa, Visawa Nagar,
VIP Road,
Nanded (Maharashtra).

Members

11. Mrs. Ratnesh Singh,
Woman Activist,
P-30, Raja Vasantha Rai Road,
Calcutta (West Bengal).

12. Shri Abdul Sattar, Social Activist,
President, Urdu Education Society,
Jewargi,
Gulbarga District,
Karnataka.

13. Smt. Urmila Singh,
Former Chairman, Madhya Pradesh,
Social Welfare Board,
Former Member,
Central Social Welfare Board.

14. Dr. Abdul Skakoor Warsi,
Director of Research,
Chandrasekhar Azad University of
Agriculture & Technology,
Kanpur, U.P.

15. Dr. Panjab Singh,
Director,
Indian Grassland & Fodder Research Institute,
Jhansi, U.P.

The Chairman may co-opt any other official or non-official as member of the Board for any particular meeting. In the absence of the Chairman, any member nominated by him will preside over the Board meeting and exercise the powers of the Chairman subject to formal approval by the Chairman of the decisions of the meeting. The Board may constitute such Committees as it may deem necessary from time to time.

TENURE

The tenure of the Board will be three years with effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the gazette of India for general information.

MEENAXI ANAND CHAUDHRY, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 18th August 1993

RESOLUTION

No. 15/15/93-Admn.IV.—A High Level Committee has been constituted by the Government vide Resolution No. 15/15/93-Admn.IV dated 16-4-1993 to study the aspects relating to the Services and Cadres of all the media units and organisations of this Ministry of Information and Broadcasting. It has been decided that Shri R. Basu, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting shall be one of the Official members of the said committee in place of Shri K. A. Varadan, who has relinquished the charge of Additional Secretary on 21-5-93 (A/N).

2. The Resolution of 16th April, 1993 stands modified to the extent stated above.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, Prime Minister's Office and all State Governments and Union Territories.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSION
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RULES

New Delhi, the 16th October 1993

No. 6/21 93-CS.I.—The Rules for a competitive examination viz., Recruitment to the Assistant Grade, 1993 to be held by the Staff Selection Commission in 1994 for the purpose of filling vacancies in the following services posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of General Cadre of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Assistant's Grade of the Railway Board Secretariat Service;

(iii) Assistant's Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Services; and

(v) Posts of Assistant in other Departmental Organisations and Attached Offices of the Government of India not prticipating in the IFS(B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Services.

1. A candidate may compete in respect of any one more of the Services Posts mentioned above.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be determined later on as specified in the Notice issued by the Commission other Backward Classes Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 21st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin has migrated from Sri Lanka with the intention of permanently settling in India.

(i) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(ii) Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) grade.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st of January, 1993 i.e. he must have been born not earlier than the 2nd January, 1968 and not later than the 1st January, 1973.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade 'D'/Grade III with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1993 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the Office of the Election Commission and the Central

Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDCs/UDCs/Stenographers Grade 'D'/Grade III will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scale.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of three years (8 years for SC/ST candidates) in the case of Defence Services Personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(iii) upto a maximum of 5 years (10 years for SC/ST in the case of ex-serviceman) Commissioned Officers including ECO's/SSCO's, who had rendered at least 5 years Military Service as on 1st January, 1992 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from the closing date (given in the notice of the rectt. by SSC) otherwise than by way of dismissal or discharge or on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(iv) Upto a maximum of 5 years (10 years for SC/ST) in case of ECO's/SSCO's who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military Service as on 1-1-1993 and are retained in the Military Service thereafter, and in whose case the Ministry of Defence issued a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months' notice on securing civil employment.

(v) Upto a maximum of 3 years (8 years for SC/ST) to candidates who are bonafide repatriates of Indian origin from Kuwait or Iraq and have migrated to India after 15th May, 1990 but before 22nd November, 1991, in accordance with Department of Personnel & Training O.M. No. 15012/11/90-Estt.(D) dated 22-11-91.

NOTE : Ex-servicemen who have already joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment are not eligible to apply under Rule 5(c) (iv) of the Rules.

Save as provided above the Age Limits Prescribed can in no case be relaxed.

NOTE : The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 5(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from Service or his services are terminated by his Deptt. either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible, if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

An LDC/UDC/Stenographer Grade 'D' Grade III who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by and Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or posses an equivalent qualification.

NOTE I :—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degree will also be eligible for admission to the examination.

NOTE II :—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will not be eligible to apply for admission to the Commission's examination.

7. All candidates in Government Service whether in a permanent or in a temporary capacity or as work charged employees, other than casual or duty daily rated employee, or those serving under Public enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing to their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.

8. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

9. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

10. Candidates must pay fee Rs. 35/- no fee for SC/ST candidates

11. Any attempt on the part of a candidates to obtain support his candidature by any means may disqualify him for admission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated document of documents which have been tampered with; or

(v) making statement which are incorrect or false; or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for his examination, or

(vii) using unfair means during the examination,

(viii) writing irrelevant matter, including obscence language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) Taking away the question booklet/answer sheet from the examination hall;

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination, or

(xii) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their admission certificate permitting them to take the examination; or

(xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable,

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidates, and in that order so may candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the Examination. The merit list will be drawn on All India basis.

Provided further that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or OBCs may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the OBCs be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service.

Provided further that the candidates belonging to the SC ST and OBCs who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standards referred to this sub-rule, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given at the time of making appointment on the result of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/Posts in the detailed application form.

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistant Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistant's Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments has not been withheld but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respect for appointment to the Service/Post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix I.

C. BHASKAR,
Under Secy.

APPENDIX-I

(The Scheme of the Examination)

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper	Name of the Test	Type of the test	No. of Questions	Marks	Duration
Paper I	(a) Reasoning Ability	Multiple Choise Objective Type	100	200	2 Hours
	(b) General Awareness	-Do	100		
Paper II	(a) Arithmetic	-Do -	100		
	(b) Language I (General English)	-Do -	100		
	OR Language II (General English and Hindi)	-Do -	50 Each	200	2 Hours

2. The syllabus for the examination will be as given in the attached Schedule.

3. The papers in all the subjects consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) in Reasoning Ability, Arithmetic and General Knowledge will be set both in English and Hindi.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the Examination.

6. In the question papers, wherever necessary questions involving numeral the Metric system of weights and measures only will be set.

7. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

Paper I (*a*) *Reasoning Ability* :

Questions in the test of Reasoning Ability will be Non-verbal and verbal both. Of the 100 items, 40 items will be of Non-verbal type based on classification. Analogy and series. The remaining 60 items will be of verbal type based on Letter/Number series, Letter/Number Word Analogy, Number/Letter/Word classification, coding and Decoding, problem solving/Finding the rule, special orientation/special visualisation, statement conclusion/syllogistic Reasoning.

(b) *General Awareness* :

Question in this test will aim at measuring knowledge of current events besides knowledge of general science/social science and their application to the society. This test will also include questions on sports, culture, history, geography, general polity etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.

Paper II :

(a) *Arithmetic* : This test will include questions on problems relating to percentages, ratio and proportions, averages estimation use of table and graphs, mensuration, time and distance, ratio and time etc.

(b) *Language I* (*General English*) : Questions in this test will be based on error recognition, fill in the blanks (using verbs, prepositions articles, adverbs, etc.), vocabulary, spellings, sequence of sentences in a paragraph sequence of words in a sentence, close passage and comprehension passage etc. Synonyms and antonyms will be asked in the context of the given passage. The standard of questions will be only of the 10+2 level.

Language II (*General English and Hindi*) :

Questions in this test will consist of 50 percent questions in General English as in Language I and 50 per cent questions in Hindi. Questions in Hindi will be designed to test candidates understanding of the language and correct use of all words, phrases and idioms, ability to write Language correctly, Precisely and effectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Service/Posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) Indian Foreign Service (B) :—All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatics Counsellor Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade	Under Secretaries at HQ ys First and Second Secretaries in Missions and posts abroad	Rs. 3000-100-3500-125-4500
Integrated	Attached and Section Officer at HQ. Vice-Councils	Rs. 2000-60-2300-EB-75-2900-100-3500
Grade II-III	and Registrars in Missions and Posts abroad.	
Grade IV	Assistants at HQ Rs and in Mission and Posts abroad.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the courses of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work on conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts including in the cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. During service abroad, IFS (B) Officials, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance facilities under the Assistant Medical Attendance Scheme;

(iii) Home leave passage for Officers and their families in accordance with the prescribed rules;

(iv) Return Single Air Passage to India and back to the place of duty abroad upto a maximum of two throughout the Officer's service for emergencies such as death or serious illness of a near relation in India as may be defined by the Government;

(v) Annual return air passage for children between the ages of 6 and 22 studying in regional educational institution in India to visit parents during vacation subject to certain conditions;

(vi) Expenditure on education of children up to a maximum of two children between the age 5 and 20 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions; and

(vii) Outfit allowance Rs. 2300 per posting abroad subject to maximum of 8 occasions during the entire career.

6. All Officers appointed to the IFS (B), will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also to other rules and regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with Indian Foreign Service (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion on to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of Pay of Rs. 3200-100-3700-125-4700.

(ii) The Railway Board Secretariat Service :—The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :—

1. Selection Grade (Deputy Secretary or Equivalent) Rs. 3700-125-4700-150-5000.

2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 3000-100-3500-125-4500.

3. Section Officers Grade Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

4. Assistants Grade Rs. 1640-60-2600-75-2900.

Person recruited direct as Assistant will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharge from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistants' Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Department of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits, and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that Fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they joined the service.

The Candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff including in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of Medical facilities they will be governed by rule applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) The Central Secretariat Service :—The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent Rs. 3700-125-4700-150-5000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 3000-100-3500-125-4500.

(3) Section Officers Grade Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

(4) Assistants Grade Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Office participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their opinion for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) The Armed Forces Headquarters Civil Service :—The Armed Force Head quarters Civil Service has at present five Grades as follows :—

Grade	Scale of pay
(1) Director	Rs 4500-150-5700
(2) Selections Grades (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer) (Group A)	Rs 3700-125-4700-150-5000
(3) Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 3000—100—3500—125—4500
(4) Assistants Civilian Staff Officer (Group B Gazetted)	Rs 2000-60-2400-EB-75-3200-100-3500
(5) Assistants	Rs 1640-60-2600-EB-75-2900

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on Probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may be either discharged from the service or, his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistant recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter Service Organisations, participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistant Grade or the Armed Force Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim transfer or appointment to post not included in that service.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993.